


19	रजि. आंकड़ा	VF50 RT - 5934	श्री. श्री. श्री.
20	क्रेडिट नं.	VF50 RT - 6461	श्री. श्री. श्री.
21			
22			

प्रथम पक्ष : एजेन्सी स्वामी नाम श्री. श्री. श्री. देवेन्द्र पुरा का र. स. प. ल.
 तहसील सादर जन्मपद आजमगढ़

द्वितीय पक्ष : जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्सक अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति आजमगढ़, जिला आजमगढ़।
 मासिक किराया अपरोक्षता भुसार

हम उभय पक्ष एतद् द्वारा परस्पर बंधन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते हैं कि नीचे लिखे प्रतिबंधों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिए वैधानिक सार से बंध्य रहेंगे-

1. यह कि प्रथम पक्ष एजेन्सी स्वामी श्री. श्री. श्री. देवेन्द्र तहसील सादर जन्मपद आजमगढ़ राज्य उ.प्र. एजेन्सी स्वामी है तथा प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त वाहनों को दिनांक 31/03/2016 तक कुल 05 माह के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर दिये जाने हेतु सहमत है।
2. यह की द्वितीय पक्ष उक्त वाहनों का किराया प्रथम पक्ष को द्वारा वाहनों के किराये का बिल प्रस्तुत किये जाने के प्रत्येक दस कार्यदिवसों में भुगतान कर देगा। नगर भुगतान किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा।
3. द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उक्तको द्वितीय पक्ष अपने रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेगा।
4. यह कि वाहनों हेतु ईंधन का समस्त खर्च प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
5. यह की वाहनों में टूट फूट एवं अन्य मरम्मत कार्य का समस्त खर्च प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
6. यह की वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक की व्यवस्था भी वाहन स्वामी द्वारा की जायेगी।
7. यह की वाहनों को प्रत्येक माह अधिकतम 2000 किलो मी. तक चलना होगा।
8. वाहनों को घातू हालत में रखने हेतु सतत पर इसकी साफ सफाई एवं आवश्यक रख रखाव प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी इसकी नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरज आदि भेजना पड़े तो उक्त अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था न किये जाने पर 100-200 प्रति दिन की दर से अर्ध दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
9. यह की प्रथम पक्ष द्वारा वाहनों का टैक्स एवं बीमा आदि समय से जमा कर उसकी एक प्रतिलिपि द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. यह की प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. यह की द्वितीय पक्ष अनुबंध पत्र की मूल प्रतिलिपि रखेगा जिसके आधार पर किराया भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
12. उपरोक्त के काम में किराये के वाहनों के सम्बन्ध में सभी प्रकारको से अधिक अधिकतम जिला स्वास्थ्य समिति से निहित होगा।
13. यह कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारतीय जनता के जिला अधिकारी/असल जिला स्वास्थ्य समिति से होवे।


 मुख्य चिकित्सक अधिकारी
 जिला स्वास्थ्य समिति

आदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़

एन०एच०एम०/वाहन/2016-17/दिनांक/8804

03/03/16

अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी
पी०एच०सी०/पी०एच०सी० आजमगढ़

RBSK व सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत अनुबंधित वाहनों के नवीनकरण सम्बन्ध में।

मिशन निदेशक के पत्रांक एसपीएमयू/एनएचएम/लेखा/2014-15/114-75 दिनांक 03 मार्च 2016 के क्रम में शिवहरी ट्रेवल एजेन्सी द्वारा वित्तीय 17 में भी वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। तत्क्रम में शिवहरी ट्रेवल एजेन्सी के अनुबन्ध को दिनांक 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2017 अथवा मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर से स्वीकृति समाप्त हो जो भी पहले हो तक के लिए प्रस्तावित रहा है। अनुबन्ध की शर्तें यथावत रहेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी
आजमगढ़

निम्न को सूचनार्थ प्रेषित- 8805-9
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
अधीक्षक, आजमगढ़।
उपमुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
शिवहरी ट्रेवल्स एजेन्सी, आजमगढ़।
ना कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, आजमगढ़।

मुख्य चिकित्साधिकारी
आजमगढ़

प्रथम पक्ष : एजेन्सी स्वामी नाथ शिवहरी ट्रैवल एजेन्सी पूरा पता एलबल त्रिमोहनी तहसील सदर जनपद आजमगढ़।

द्वितीय पक्ष : जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक जिला स्वास्थ्य समिति आजमगढ़ जिला आजमगढ़ भासिक किराया उपरोक्तानुसार।

हम उभय पक्ष एतद् द्वारा पश्चर वचन देते, विश्वास दिलाते और प्रतिज्ञा करते हैं कि नीचे लिखे प्रतिबन्धों एवं शर्तों को पूर्णतः पालन करेंगे और पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य रहेंगे—

24. यह कि प्रथम पक्ष एजेन्सी स्वामी प्रवेश कुमार श्रीवास्तव तहसील सदर जनपद आजमगढ़ राज्य उ०प्र० एजेन्सी स्वामी है तथा प्रथम पक्ष अपने उक्त वाहनों को दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक कुल 12 माह के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर दिये जाने हेतु सहमत है।
25. यह की द्वितीय पक्ष उक्त वाहनों का किराया प्रथम पक्ष के द्वारा वाहनों के किराये का बिल प्रस्तुत किये जाने का प्रत्येक दस कार्यदिवसों में भुगतान कर देगा। नगद भुगतान किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगा एवं भुगतान 2 प्रतिशत आयकर काटकर किया जायेगा।
26. द्वितीय पक्ष किराया अदा करने के उपरान्त प्रत्येक माह किराये की रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त करेगा। किराये की रसीद प्रथम पक्ष देने हेतु सहमत होगा तथा उसको द्वितीय पक्ष अपने रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखेगा।
27. यह कि वाहनों हेतु ईंधन का समस्त व्यय प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
28. यह कि वाहनों में टूट-फूट एवं अन्य मरम्मत कार्य का समस्त व्यय प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
29. यह की वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक की व्यवस्था भी वाहन स्वामी द्वारा की जायेगी।
30. यह कि वाहनों को प्रत्येक माह अधिकतम 2000 किलो मी० तक चलना होगा।
31. वाहनों को चालू हालत में रखने हेतु ससमय पर इनकी साफ-सफाई एवं आवश्यक रख-रखाव प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी। इसकी नियमित जाँच हेतु यदि वाहन को गैरज आदि भेजना पड़े तो उस अवधि में प्रथम पक्ष क्षरा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था न किये जाने पर रू० 300 प्रति दिन की दर से अर्ध दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
32. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वाहनों का टैक्स एवं बीमा आदि समय से जमा कर उसकी एक छाया प्रति द्वितीय पक्ष के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
33. यह कि प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
34. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध पत्र की मूल प्रति रखेगा जिसके आधार पर किराया भुगतान की प्रक्रिया की जायेगी।
35. उपरोक्त के क्रम में किराये के वाहनों के सम्बन्ध में सभी प्रकरणों में अन्तिम जिला स्वास्थ्य समिति में निहित होगा।
36. यह कि किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में मध्यस्थ जनपद के जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति होंगे।
37. यह कि यदि विवाद की स्थिति में निर्णय से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो जनपद आजमगढ़ न्यायालय में इसका क्षेत्राधिकार होगा।
38. लिहाजा यह वाहनों का अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़कर सुन-समझकर अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सन्द रहे और वक्त पर काम आवे।

For Shiv Hari Travels Agency

Yogesh Chandra
Partner

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
वाहन स्वामी

जनपद/शहर
दिनांक

गवाहान

1 नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

2 नाम/पूरा पता/हस्ताक्षर

[Signature]
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(संयोजक जिला स्वास्थ्य समिति)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 621070

वाहन अनुबन्ध पत्र (सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु)

एजेन्सी का विवरण - पंजीकरण सं. 1/AZH/2014 पंजीकरण तिथि 27.10.2014

दिनांक

वाहन का विवरण-

क्र०सं०	वाहन नं०	इकाई का नाम	अनुबन्धित दर
1	UP 50 AK - 9212	अतरीलिया	24800/-
2	UP 50 AJ - 5187	तरवा	24800/-
3	UP 50 BT - 1202	तहवरपुर	24800/-
4	UP 50 BT - 3848	लालगंज	24800/-
5	UP 50 BT - 1203	मुहम्मदपुर	24800/-
6	UP 50 AC - 8357	मिर्जापुर	24800/-
7	UP 50 AT - 8250	विलरियामगंज	24800/-
8	UP 50 BT - 1381	मार्टीनगंज	24800/-
9	UP 62 AT - 0548	ठेकमा	24800/-
10	UP 50 BT - 0091	कोयलसा	24800/-
11	UP 50 AB - 7686	महाराजगंज	24800/-
12	UP 65 BT - 1314	प्यई	24800/-
13	UP 50 AT - 2050	पल्हनी	24800/-
14	UP 50 AE - 3450	अजमतगढ़	24800/-
15	UP 32 EN - 6245	सी०एम०ओ० आफिस	24800/-
16	UP 50 AE - 6452	अहरीला	24800/-
17	UP 50 BT - 0467	रानीकी सराय	24800/-
18	UP 50 BT - 1777	डी०पी०एन०यू०	24800/-
19	UP 50 BT - 1770	हरैया	24800/-
20	UP 50 AF - 7127	सठियाव	25000/-
21	UP 50 BT - 3197	फूलपुर	24800/-
22	UP 50 BT - 1303	मोहनगर	24800/-

For Shiv Hari Travels Agency

Regd No. 01/Azm/2014

Mob. 9415377118

शिव हरी ट्रवेल्स एजेन्सी

रैदोपुर कालीचौरा-आजमगढ़
(आर.टी.ओ.द्वारा मान्यता प्राप्त)

पत्रांक

सेवा में

दिनांक १/01/2022

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

प्रा० स्वा० के० पवई, आजमगढ़ ।

विषय :-

एजेन्सी द्वारा लगे वाहन आर०बी०एस०के० / सपोर्टिंग सुपरविजन के वाहन स्वामी द्वारा वाहन न चलाने के दशा में वैकल्पिक वाहन देने के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

सादर निवेदन है कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई, पर एजेन्सी द्वारा आर०बी०एस०के० सं०-यू०पी०-50-ए०टी० 6956 सपोर्टिंग सुपरविजन वाहन सं०-यू०पी०-65- बी०टी०-1314 के वाहन स्वामी द्वारा लिखित अनुरोध में वाहन न चलाने को कहा गया । इस दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पवई में आर०बी०एस०के० टैक्सी वाहन सं०-यू०पी०-50बी०टी०- 2378 एवं सपोर्टिंग सुपरविजन वाहन यू०पी०-50-बी०टी०-4360 को आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराया गया है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वाहन से कार्य लेने का कष्ट करें । जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सके ।

For Shiv Hari Travels Agency

प्रवेश कुमार शिवहरि
Partner

सूचनार्थ -

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, आजमगढ़ ।

शिवहरि ट्रवेल एजेन्सी
कालीचौरा, आजमगढ़

शिव हरी ट्रवेल्स एजेन्सी

रैदोपुर कालीचौरा-आजमगढ़
(आर.टी.ओ.द्वारा मान्यता प्राप्त)

पत्रांक

दिनांक 04/02/2017

सेवा में,

प्रभारी चिकित्साधिकारी
प्राथमिक केन्द्र, मार्टिनगंज
आजमगढ़ ।

विषय : एजेन्सी द्वारा लगे सपोर्टिंग सुपरविजन वाहन के स्वामी द्वारा वाहन न चलाने की दशा में वैकल्पिक वाहन देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मार्टिनगंज में एजेन्सी द्वारा लगे सुपरविजन वाहन सं०-यू०पी०-50 बी०टी०-1381 के वाहन स्वामी द्वारा लिखित अनुरोध में वाहन न चलाने को कहा गया है। इस दशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्टिनगंज में सपोर्टिंग सुपरविजन टैक्सी वाहन सं०-यू०पी०-50 बी०टी०-4961 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मार्टिनगंज में उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त वाहन से कार्य लेने का कष्ट करें। जिससे राष्ट्रीय कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सके।

For Shiv Hari Travels Agency

Yoder Om Sharma

Partner

शिव हरी ट्रवेल्स एजेन्सी
कालीचौरा, रैदोपुर, आजमगढ़

सूचनार्थ -

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, आजमगढ़ ।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़

पत्रांक:-वाहन/स0प0/आर0बी0एस0के0/2017-18 19125

दिनांक:-11-10-2017

प्रभारी चि0अ0, प्रा0स्वा0केन्द्र संठियाव, आजमगढ़

अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र मेंहनगर, पल्हनी, अतरौलिया आजमगढ़

विषय:- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं आर0बी0एस0के0 के अंतर्गत परिवर्तित वाहनों के परिचालन के संबंध में।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि मे0 शिव हरी ट्रेवेल्स, काली चौरा, आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी निम्नलिखित वाहनों का परिचालन वित्तीय वर्ष 2015-16 की निविदा शर्तों के अनुसार नियमानुसार संचालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमसं	ब्लाक	कार्यक्रम	वाहन सं0	संचालन तिथि
1	संठियाव	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	यूपी 50 ए एक्स 6041	28-09-2017
2	मेंहनगर	आर0बी0एस0के0	यूपी 50 बी टी 6079	09-10-2017
3	पल्हनी	आर0बी0एस0के0	यूपी0 65 एफ.टी 2622	11-10-17
4	पल्हनी	आर0बी0एस0के0	यूपी0 50 ए0एफ0 7127	11-10-17
5	अतरौलिया	आर0बी0एस0के0	यूपी0 50 बी0टी0 5791	11-10-17
6	अतरौलिया	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण	यूपी0 50 बी0टी0 1290	11-10-17





मुख्य चिकित्साधिकारी
आजमगढ़


दिनांक:-11-10-2017

पत्रांक:-वाहन/स0प0/आर0बी0एस0के0/2017-18 19126-31

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- महाप्रबंधक, आर0बी0एस0के0 30प्र0।
- 3- नोडल अधिकारी आर0बी0एस0के0, आजमगढ़।
- 4- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0पी0एम0यू0, आजमगढ़।
- 5- श्री आर0एन0गिरी, पटल सहायक, आर0बी0एस0के0, आजमगढ़।
- 6- शिवहरी ट्रेवेल्स एजेन्सी, काली चौरा, आजमगढ़।





मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आजमगढ़